क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/12	...उपस्थित। तामील आदेश दिनांक 10-12-22 की पालना में पत्रावली वास्ते ... दिनांक 8/2/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
8.2.22	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी के निवेदन पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। पूर्व में प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 9 का इकबाल पेश हो चुका है तथा प्रतिवादी नं. 1 व 2 की दिनांक 10/12/21 को एकतरफा कार्यवाही हो चुकि है। पत्रावली पर पूर्व में वादी एवं प्रतिवादी की साक्ष्य हो चुकी है तथा [illegible] पत्रावली पर पेश किया जा चुका है। पत्रावली वास्ते बहस अन्तिम बावा एकतरफा हेतु दिनांक 22/2/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
22/2/22	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। बहस वकील एकतरफा सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 25/02/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
25/2/22	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। अतः दावा वादीयान एकतरफा रूप से डिक्री किया जाता है। प्रतिवादीगण को डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वो उक्त आराजी में वादी एवं हस्तीवी प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में किसी तरह की रुकावट व मजाहमत पैदा ना करे। जबरन बेदखल कर खुद कब्जा ना करें। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर [illegible] किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर जाब्ते से फारिग होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर [illegible] हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	

पर्चा डिकी

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामकिशोर मीना आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 02 / 118 / 2015

वउनवान

1. काडाराम पुत्र प्यारेलाल जाति ब्राहमण निवासी मक्खनकानगला तहसील कठूमर (मृतक)

1 / 1 बृजमोहन पुत्र काडाराम जाति ब्राहमण

1 / 2 केदार पुत्र काडाराम जाति ब्राहमण

1 / 3 केशर पत्नी काडराम जाति ब्राहमण (मृतक) तर्क

डिक्रीदारान

बनाम

1.बाबूलाल पुत्र श्री हरीकिशन जाति ब्राहमण निवासी मक्खनकानगला

2. सोरनलाल पुत्र श्री रामचरण जाति ब्राहमण निवासी मक्खनकानगला

3. रूपचन्द पुत्र रामचन्द जाति कुम्हार निवासी मक्खनकानगला

4. प्रभाती पुत्र श्री घमण्डी जाति कुम्हार (मृतक)

4 / 1.यादराम पुत्र प्रभाती जाति कुम्हार निवासी मक्खनकानगला

4 / 2.भगवंती देवी पत्नी स्व0 श्री प्रभाती जाति कुम्हार निवासी मक्खनकानगला

5. रामस्वरूप पुत्र श्री भौरया जाति ब्राहमण निवासी मक्खनकानगला (मृतक)

5 / 1.देवकरण पुत्र रामस्वरूप

5 / 2 यादराम पुत्र रामस्वरूप

5 / 3.कल्याणसहाय पुत्र रामस्वरूप

5 / 4.सुरेश पुत्र रामस्वरूप

5 / 5.मुकेश पुत्र रामस्वरूप

जाति ब्राहमण निवासी मक्खनकानगला

असल मदयूनान

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

6. रामसिंह पुत्र प्रताप जाति ब्राहमण निवासी मक्खनकानगला (मृतक)

6/1.प्रकाश पुत्र रामसिंह

6/2 रमेश पुत्र रामसिंह

6/3.दरबी पत्नी स्व0 रामसिंह (मृतक) तर्क

7. कन्हैंया पुत्र प्रभात जाति ब्राहमण निवासी मक्खनकानगला (मृतक)

7/1.कैलाश पुत्र कन्हैंया

7/2.सुभाष पुत्र कन्हैंया

7/3.रामपति पत्नी स्व0 श्री कन्हैंया (मृतक) तर्क

8. देवीसहाय पुत्र प्रताप जाति ब्राहमण निवासी मक्खनकानगला

8/1 भगवानसहाय पुत्र देवीसहाय

8/2 मुकेश पुत्र देवीसहाय

8/3.बीरवल पुत्र देवीसहाय

8/4.राकेश पुत्र श्री देवीसहाय (मृतक) तर्क

9. हरसहाय पुत्र श्री प्रताप जाति ब्राहमण निवासी मक्खनकानगला (मृतक)

9/1.गोपाल पुत्र हरसहाय

9/2 राजेशकुमार पुत्र हरसहाय

9/3.अंगूरीदेवी पत्नी हरसहाय

जाति ब्राहमण निवासी मक्खनकानगला

तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक व हुक्मइन्तनाई दवामी

दावा वादी इस्तकरारहक व हुक्मइन्तनाई दवामी डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 1324 रकवा 2 वीघा 2 विस्वा (0.53 हे.) वाके ग्राम मक्खनकानगला तहसील कठूमर का वादी सं0 1/1 ला0 1/2 को 1/3 हिस्से का तथा तरतीवी प्रतिवादी सं0 6 के वारिस 6/1 व 6/2 को 1/6 हिस्से का तरतीवी प्रतिवादी सं0 7 के वारिस 7/1 व 7/2 को 1/6 हिस्से का, तरतीवी प्रतिवादी सं0 8 के वारिस 8/1, 8/2, 8/3 को 1/6 हिस्से का तथा तरतीवी प्रतिवादी सं0 9 के वारिस 9/1, 9/2, 9/3 को 1/6

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा हाल राजस्व रेकार्ड में दर्ज प्रतिवादी 1 ला0 4 बाबूलाल, सोरन, रूपचन्द, प्रभाती व प्रतिवादी सं0 5 के वारिस 5/1 देवकरण 5/2 यादराम, 5/3 कल्याणसहाय, 5/4 सुरेश, 5/5 मुकेश का नाम कलमजन करने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज करे। प्रतिवादीगण को डिक्री हुकमइन्तनाई दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वो उक्त आराजी में वादी एंव तरतीवी प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में किसी तरह की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करें। जवरन वेदखल कर खुद कब्जा ना करें।

आज दिनांक 25.02.2022 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी, कठूमर

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामकिशोर मीना आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 01/118/2015

बउनवान

1. काडाराम पुत्र प्यारेलाल जाति ब्राहमण निवासी मक्खनकानगला तहसील कठूमर (मृतक)

1/1 बृजामोहन पुत्र काडाराम जाति ब्राहमण

1/2 केदार पुत्र काडाराम जाति ब्राहमण

1/3 केशर पत्नी काडराम जाति ब्राहमण (मृतक) तर्क

वादीगण

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र श्री हरीकिशन जाति ब्राहमण निवासी मक्खनकानगला
2. सोरनलाल पुत्र श्री रामचरण जाति ब्राहमण निवासी मक्खनकानगला
3. रूपचन्द पुत्र रामचन्द जाति कुम्हार निवासी मक्खनकानगला
4. प्रभाती पुत्र श्री घमण्डी जाति कुम्हार (मृतक)

4/1.यादराम पुत्र प्रभाती जाति कुम्हार निवासी मक्खनकानगला

4/2.भगवंती देवी पत्नी स्व0 श्री प्रभाती जाति कुम्हार निवासी मक्खनकानगला

5. रामस्वरूप पुत्र श्री भौरया जाति ब्राहमण निवासी मक्खनकानगला (मृतक)

5/1.देवकरण पुत्र रामस्वरूप

5/2 यादराम पुत्र रामस्वरूप

5/3.कल्याणसहाय पुत्र रामस्वरूप

5/4.सुरेश पुत्र रामस्वरूप

5/5.मुकेश पुत्र रामस्वरूप

जाति ब्राहमण निवासी मक्खनकानगला

असल प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

6. रामसिंह पुत्र प्रताप जाति ब्राहमण निवासी मक्खनकानगला (मृतक)

6/1.प्रकाश पुत्र रामसिंह

6/2 रमेश पुत्र रामसिंह

6/3.दरबी पत्नी स्व0 रामसिंह (मृतक) तर्क

7. कन्हैया पुत्र प्रभात जाति ब्राहमण निवासी मक्खनकानगला (मृतक)

7/1.कैलाश पुत्र कन्हैंया

7/2.सुभाष पुत्र कन्हैंया

7/3.रामपति पत्नी स्व0 श्री कन्हैंया (मृतक) तर्क

8. देवीसहाय पुत्र प्रताप जाति ब्राहमण निवासी मक्खनकानगला

8/1 भगवानसहाय पुत्र देवीसहाय

8/2 मुकेश पुत्र देवीसहाय

8/3.बीरवल पुत्र देवीसहाय

8/4.राकेश पुत्र श्री देवीसहाय (मृतक) तर्क

9. हरसहाय पुत्र श्री प्रताप जाति ब्राहमण निवासी मक्खनकानगला (मृतक)

9/1.गोपाल पुत्र हरसहाय

9/2 राजेशकुमार पुत्र हरसहाय

9/3.अंगूरीदेवी पत्नी हरसहाय

जाति ब्राहमण निवासी मक्खनकानगला

तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक व हुक्मइन्तनाई दवामी

उपस्थित :-

श्री सुभाषचन्द शर्मा – अधिवक्ता वादी की ओर से

प्रतिवादी सं0 1–2 की एकपक्षिय कार्यवाही

निर्णय

दिनांक 25.02.2022

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र इस्तकरारहक व हुक्मइन्तनाई दवामी के

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 1324 रकवा 2 वीघा 2 विस्वा जिसके साविक खसरा नम्बर 840 मिन रकवा 1 वीघा 10 विस्वा 845 मिन रकवा 12 विस्वा हैं जो ग्राम मक्खनकानगला तहसील कठूमर में स्थित है। विवादित आराजी वादीगण के वुजुर्गान की पैदा कर्दा आराजी है जिस पर वादी एंव तरतीवी प्रतिवादी सं0 6 ला0 9 के बजुर्गान काविज रहकर काश्त करते रहे तथा अव वादी तथा प्रतिवादी सं0 6 ला0 9 काविज रहकर काश्त कर रहे है। आराजी मुतनाजा में वादी का 1/3 हिस्सा तथा तरतीवी प्रतिवादी सं0 6 ला0 9 का 2/3 हिस्सा तथा वादी एंव तरतीवी प्रतिवादीगण सं0 6 ला0 9 एक ही परिवार के सदस्य है मुताविक सजरा करना ने अपने जीवनकाल में अपनी आराजीयात के अपने हिस्सेको जरिये वयनामा अपने भाई प्रताप को वेचान कर दिया इस प्रकार तरतीवी प्रतिवादीगण के 2/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार हो गये तथा वादी का 1/3 हिस्सा रहा जो हिस्सा बदस्तूर आज तक चला आ रहा है तथा विवादित आराजी पर वादी एंव तरतीवी प्रतिवादी सं0 6 ला0 9 निर्विवाद रूप से लगातार काविज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। बन्दोवस्त कर्मचारियों ने हाल आराजी मुतनाजा खसरा नम्बर 1324 जो साविक खसरा नम्बर 840 मिन 1 वीघा 10 विस्वा वो 845 मिन रकवा 12 विस्वा से बनाया गया है पर प्रतिवादीगण का नाम दर्ज कर दिया जवकि वादी एंव तरतीवी प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर काविज थे। बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियों को मौके के अनुसार वादीगण तथा तरतीवी प्रतिवादीगण का नाम दर्ज करना चाहिए था जवकि असल प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रकार्ड में दर्ज फर्माया गया है जो कि खिलाफ कानून व खिलाफ मौका है जिसे वादी तथा तरतीवी प्रतिवादीगण अपने हक हकूकों के मुकावले कलमजन कराने के अधिकारी है। वादी एंव तरतीवी प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्सों के मुताविक आराजी मुतनाजा पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से ही काविज रहकर काश्त करते चले आ

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

रहे है तथा वन्दोबस्त सवत् 2028 के वाद से भी आराजी मुतनाजा पर विना किसी रोक टोक के आज तक काविज रहकर काश्त करते चले आ रहे है विवादित आराजी पर वादी एंव तरतीवी प्रतिवादीगण को एडवर्स पजेशन के आधार पर भी खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। अतः वादीगण ने आराजी खसरा नम्बर 1324 रकवा 2 वीघा 2 विस्वा वाके ग्राम मक्खनकानगला तहसील कठूमर में 1/3 हिस्सा वादी को तथा शेष 2/3 हिस्से का तरतीवी प्रतिवादी सं0 6 ला0 9 को खातेदार काश्तकार घोषित करने व असल प्रतिवादीगण का नाम कलमजन करने व वाद वादी मुताविक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया।

प्रतिवादीगण की तामील होने पर प्रतिवादी सं0 1–2 ने अपना जवाव दावा पेश किया। लेकिन प्रतिवादी सं0 1–2 के हाजिर अदालत नहीं आने पर दिनांक 10.12. 2021 को एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं0 3 ला0 5 ने दावा के तथ्यों को स्वीकार करते हुये अपना ईकवाल जवाव दावा पेश किया। प्रतिवादी सं0 6 ला0 9 ने भी दावा के तथ्यों को स्वीकार करते हुये अपना ईकवाल जवाव दावा पेश किया। जो शामिल पत्रावली है।

वादी ने अपने दावा के समर्थन में जमाबन्दी सवत् 2047 प्रदर्श 1 की सत्यप्रतिलिपी पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

वादी ने अपने दावा के समर्थन में पी डब्ल्यू 1 वादी बृजमोहन, पी डब्ल्यू 2 हरदयाल पी डब्ल्यू 3 रमनलाल के तथा प्रतिवादी सं0 1–2 की ओर से अपने समर्थन में गवाह डी डब्ल्यू 1 बाबूलाल, डी ब्ल्यू 2 जगदीशप्रसाद के वयान लेखवद्व कराये जो शामिल पत्रावली है।

दौराने दावा वादी मृतक काडराम के वारिस 1/1 ला0 1/3 बृजमोहन, केदार, केशर को वादी की श्रंखला में जोडा गया तथा 1/3 केशर के फौत होने

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

पर उसका नाम दावा हाजा से तर्क किया गया। प्रतिवादी सं0 4 प्रभाती फौत हो गया जिसके कानूनी वारिस 4/1 ला0 4/2 यादराम व भगवती को कायम मुकाम बनाया गया। प्रतिवादी सं0 5 रामस्वरूप फौत हो गया जिसके वारिस 5/1 ला0 5/5 देवकरण, यादराम, कल्याणसहाय, सुरेश, मुकेश को कायम मुकाम बनाया गया। तरतीवी प्रतिवादी सं0 6 रामसिंह का स्वर्गवास हो जिसके वारिस 6/1 ला0 6/3 प्रकाश, रमेश, दरबी को कायम मुकाम बनाया गया। दरबी के फौत हो जाने पर उसका नाम दावा हाजा से तर्क किया गया। तरतीवी प्रतिवादी सं0 7 कन्हैया फौत हो गया जिसके वारिस 7/1 ला0 7/3 कैलाश, सुभाष, रामपति को कायम मुकाम बनाया गया। रामपति के फौत हो जाने पर उसका नाम दावा हाजा से तर्क किया गया। तरतीवी प्रतिवादी सं0 8 देवीसहाय फौत हो गया। जिसके वारिस 8/1 ला0 8/4 भगवानसहाय, मुकेश, बीरवल, राकेश को कायम मुकाम बनाया गया। राकेश लाबल्द फौत हो गया जिसके वारिस 8/1 ला0 8/3 ही हैं। तरतीवी प्रतिवादी सं0 9 हरसहाय फौत हो गया जिसे कानूनी वारिस 9/1 ला0 9/3 गोपाल, राजेश, अंगूरीदेवी को कायम मुकाम बनाया गया।

इसी दावा के साथ दावा वउनवान बाबूलाल वगैरा बनाम रूपचन्द वगैरा कनसोलिडेट किया गया। जो दावा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज हो गया।

विद्वान अधिवक्ता वादी की एकपक्षिय वहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किया। वादी के दावा एंव प्रतिवादी सं0 1–2 के जवाव के आधार पर दावा में कुल 3 तनकी कायम की गयीं। जिनका विन्दुवार निस्तारण निम्न प्रकार से है –

तनकी सं0 1– इस प्रकार से है कि आया विवादित आराजी खसरा नम्बर 1324 रकवा 2 वीघा 2 विस्वा जिसके साविक खसरा नम्बर 840 रकवा 1 वीघा 10 विस्वा 845 मिन रकवा 12 विस्वा वाके ग्राम मक्खनकानगला तहसील लक्ष्मणगढ

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

कायम किये गये है में वादी 1/3 हिस्से का तथा तरतीवी प्रतिवादी सं0 6 ला0 9 2/3 हिस्सा के काविज खातेदार काश्तकार होने के कारण खातेदार काश्तकार घोषित होने के मुश्तहक है – इस तनकी को सावित करने का भार वादी पर है। वहस सुनी गयी। अधिवक्ता वादी ने अपनी वहस के दौरान अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी 1324 रकवा 2 वीघा 2 विस्वा साविक खसरा नम्बर 840 मिन रकवा 1 वीघा 10 विस्वा 845 मिन रकवा 12 विस्वा से मिलकर बना है। वक्त बन्दोबस्त आराजी मुतनाजा पर वादी 1/3 हिस्से पर एंव तरतीवी प्रतिवादी सं0 6 ला0 9, 2/3 हिस्से पर निर्विवाद रूप से काविज रहकर काश्त करते चले आ रहे थे लेकिन बन्दोवस्त विभाग ने विना मौका एंव कबजा की जांच किये खिलाफ कानून व खिलाफ मौका राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किये विना ही विवादित आराजी को विना अधिकार के प्रतिवादी सं0 1 ला0 5 के नाम खातेदार दर्ज कर दिया। जवकि प्रतिवादी सं0 1 ला0 5 का विवादित आराजी से किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं रहा और ना ही इन्होंने विवादित आराजी पर काश्त की। स्वंय प्रतिवादीगण एंव तरतीवी प्रतिवादीगण ने विवादित आराजी पर वादी का 1/3 हिस्सा व तरतीवी प्रतिवादी सं0 6 ला0 9 का 2/3 हिस्सा पर कब्जा होना व खातेदार काश्तकार होना मानकर अपना इकवाल जवाव पेश किया है तथा पत्रावली पर उपलब्ध गवाह पी डब्ल्यू 1 वादी बृजमोहन, पी डब्ल्यू 2 हरदयाल पी डब्ल्यू 3 रमनलाल ने भी विवादित आराजी के 1/3 हिस्से पर वादी का व 2/3 हिस्से पर तरतीवी प्रतिवादी सं0 6 ला0 9 का कब्जा जव से सुरत संभाली है तव से कब्जा होने का कथन किया है। दौराने वहस अधिवक्ता वादी ने जमाबन्दी संवत् 2009 जमाबन्दी संवत् 2022 की छाया प्रति पेश की जिसमें आराजी खसरा नम्बर 1324 के साविक खसरा नम्बरान 840–845 वाके ग्राम मक्खनकानगला वादी काडा एंव प्रतिवादी सं0 6 ला0 9 के पिता प्रताप की खातेदारी में दर्ज है पत्रावली पर उपलबध दस्तावेज प्रदर्श डी1, मिलान क्षैत्रफल से भी यह वखूवी सावित है कि आराजी खसरा नम्बर 1324 जिसके साविक खसरा नम्बर 840 मिन

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

845 मिन हैं जो जमाबन्दी संवत् 2022 व 2009 के मुताविक वादी एंव प्रतिवादी सं0 6 ला0 9 के पिता की खातेदारी में दर्ज है। वाद वादी सावित है। बन्दोवस्त पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड गवाहन के वयान ईकवाल जवाव से वादी एंव तरतीवी प्रतिवादीगण का विवादित आराजी पर कब्जा सावित है। ऐसी स्थिति में तनकी संख्या 1 वादी के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 2– इस प्रकार से है कि आया बन्दोवस्त हाल से विवादित आराजी खिलाफ कानून व खिलाफ मौका के असल प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दिया जो वादी एंव तरतीवी प्रतिवादीगण के हितों के खिलाफ होने के कारण इन्द्राज वातिल एंव वेअसर है। तनकी संख्या 1 के विस्तृत विवेचन के आधार पर विवादित आराजी पर वादी का 1/3 हिस्सा व तरतीवी प्रतिवादी सं0 6 ला0 9 का कब्जा व काश्त सावित हो चुकी है। प्रतिवादी सं0 3 ला0 5 ने ईकवाल जवाव पेश कर विवादित आराजी 1/3 हिस्सा वादी की व 2/3 हिस्सा तरतीवी प्रतिवादी सं0 6 ला0 9 की खातेदारी व कबजे की होना स्वीकार किया है व यह भी कथन किया है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1324 रकवा 2 वीघा 2 विस्वा वाके ग्राम मक्खनकानगला तहसील कठूमर में 1/3 हिस्से का वादी को व शेष 2/3 का तरतीवी प्रतिवादी सं0 6 ला0 9 को खातेदार काश्तकार घोषित फर्माया जाता हे तो हमें कोई आपतित नहीं है। इस प्रकार हाल राजस्व रेकार्ड में दर्ज प्रतिवादी सं0 1 ला0 5 के नाम नुमाइसी इन्द्राज दर्ज होना सावित है बन्दोबस्त से पूर्व राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी संवत् 2022 व 2009 से भी वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण का कबजा काश्त वखूवी सावित हे कि आराजी खसरा नम्बर 1324 रकवा 2 वीघा 2 विस्वा के साविक खसरा नम्बर 840 मिन 845 मिन वादी एंव तरतीवी प्रतिवादी सं0 6 ला0 9 के खातेदारी में दर्ज थे जिनको खिलाफ मौका बन्दोवस्त विभाग ने विधि विरूद्व तरीके से प्रतिवादी सं0 1 ला0 5 की खातेदारी में दर्ज किया है जो वादी एंव तरतीवी प्रतिवादीगण के हितों के खिलाफ होने की वजह से उक्त इन्द्राज वातिल एंव वेअसर है। ऐसी स्थिति में यह तनकी वादी के पक्ष मे निर्णीत की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

तनकी संख्या 3– इस प्रकार से है कि आया वादी एंव तरतीवी प्रतिवादीगण असल प्रतिवादीगण को हुक्मइन्तनाई दवामी से पाबन्द कराने के मुस्तहक है इस तनकी को सावित करने का भार भी वादी पर है। चूँकि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एंव वादी एंव असल प्रतिवादीगण एंव तरतीवी प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत ईकवाल जवाव एंव गवाहान के अवलोकन तथा विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षिय वहस पर मनन करने पर यह सावित है कि आराजी खसरा नम्बर 1324 रकवा 2 वीघा 2 विस्वा वाके ग्राम मक्खनकानगला तहसील कठूमर पर प्रतिवादी सं0 1 ला0 5 का कभी भी किसी किस्म का कबजा काश्त नहीं रहा। असल प्रतिवादी सं0 3 ला0 5 जो विवादित आराजी के वर्तमान रेकार्ड में खातेदार दर्ज है जिन्होंने भी जरिये ईकवाल जवाव में यह कथन किया है कि प्रतिवादी सं0 1 ला0 5 का विवादित आराजी पर कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा विवादित आराजी खसरा नम्बर 1324 के 1/3 हिस्से पर वादी तथा 2/3 हिस्से पर तरतीवी प्रतिवादी सं0 6 ला0 9 निर्विवाद रूप से काश्त करते चले आ रहे है ऐसी स्थिति में प्रतिवादी सं0 1 ला0 5 वेकब्जा व्यक्ति है तथा वादी एंव तरतीवी प्रतिवादीगण वाद वर्णित आराजी खसरा नम्बर 1324 रकवा 2 वीघा 2 विस्वा वाके ग्राम मक्खनकानगला पर काविज होने की वजह से वादी असल प्रतिवादीगण को डिक्री हुक्मइन्त्नाई दवामी से पाबन्द कराने का अधिकारी है इस वजह से यह तनकी वादी के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

चूँकि उपरोक्त तनकी सं0 1 ला0 3 वहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण निर्णीत की जा चुकी है अतः वादी का वाद सावित होने से डिक्री योग्य पाया जाता है।

आदेश

दावा वादी इस्तकरारहक व हुक्मइन्तनाई दवामी डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 1324 रकवा 2 वीघा 2 विस्वा (0.53 हे.) वाके ग्राम मक्खनकानगला तहसील कठूमर का वादी सं0 1/1 ला0 1/2 को 1/3 हिस्से का तथा तरतीवी प्रतिवादी सं0 6 के वारिस 6/1 व 6/2 को 1/6 हिस्से का

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

तरतीवी प्रतिवादी सं0 7 के वारिस 7/1 व 7/2 को 1/6 हिस्से का, तरतीवी प्रतिवादी सं0 8 के वारिस 8/1, 8/2, 8/3 को 1/6 हिस्से का तथा तरतीवी प्रतिवादी सं0 9 के वारिस 9/1, 9/2, 9/3 को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा हाल राजस्व रेकार्ड में दर्ज 1 ला0 4 बाबूलाल, सोरन, रूपचन्द, प्रभाती व प्रतिवादी सं0 5 के वारिस 5/1 देवकरण 5/2 यादराम, 5/3 कल्याणसहाय, 5/4 सुरेश, 5/5 मुकेश का नाम कलमजन करने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज करे। प्रतिवादीगण को डिक्री हुकमइन्तनाई दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वो उक्त आराजी में वादी एंव तरतीवी प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में किसी तरह की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करें। जवरन वेदखल कर खुद कब्जा ना करें तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

रामकिशोर मीना

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 25.02.2022 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रामकिशोर मीना

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)